

भारत सरकार
रेल मंत्रालय/रेलवे बोर्ड

सं. हिंदी- 195/रा.भा. 1/12/1,

नयी दिल्ली,
दि. 20.4.95

अधिसूचना

राजभाषा नियम, 1976 संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग 1 के नियम 10 के उपनियम 2 और 4 के अनुसरण में रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, उत्तर तथा पूर्व रेलों के निम्नलिखित कार्यालयों, को जहाँ कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करता है:-

उत्तर रेल/फिरोजपुर मंडल

1. रेल स्टेशन, फगवाड़ा
2. वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय, जालंधर छावनी
3. रेल स्टेशन, जालंधर छावनी
4. सहायक इंजीनियर-1 कार्यालय, फिरोजपुर
5. सहायक इंजीनियर-1 का कार्यालय फिरोजपुर
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय फिरोजपुर।
7. रेल स्टेशन, हंडारी बला
8. रेल स्टेशन, मौजा
9. रेल स्टेशन, जमनावा

पूर्व रेल/छत्रवाह मंडल

10. वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर/कर्षण चल स्टाक का कार्यालय, गोमो
11. सहायक इंजीनियर, गोमो
12. सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, हजारी बाग रोड।

ह0/-

एस.ए.ए. जेदी,
सचिव, रेलवे बोर्ड।

उत्तर रेलवे

प्रधान कार्यालय
बडौदा हाउस,
नई दिल्ली ।

सं. 843-ई/147/रा.भा030/ई-7,

दि: 25/4/95.

मण्डल रेल प्रबन्धक, दिल्ली, अम्बाला, फिरोजपुर, लखनऊ, इलाहाबाद,
मुरादाबाद, जोधपुर व बीकानेर ।

उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर, अमृतसर, आलमबाग-लखनऊ, बीकानेर और जोधपुर ।

मुख्य कारखाना प्रबन्धक, जगादरी कारखाना और चारबाग-लखनऊ ।

उप मुख्य अभियंता पुल कारखाना चारबाग-लखनऊ ।

मुख्य कारखाना प्रबन्धक, सिमनत वर्कशाप, गाजियाबाद ।

निर्माण प्रबन्धक, कालका ।

उप मण्डल निरीक्षक, शकूरबस्ती, जोधपुर, आलमबाग-लखनऊ ।

मुख्य अधीक्षक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, शकूरबस्ती ।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, निर्माण, कश्मीरी गेट, दिल्ली ।

मुख्य लेखा अधिकारी, यांलेओ, दिल्ली किशन गंज ।

उप मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक, हावा, वाराणसी ।

मुख्य अस्पताल अधीक्षक, केन्द्रीय अस्पताल, नयी दिल्ली ।

प्रधानाचार्य, क्षेत्रीय प्रशिक्षण स्कूल, चण्डीसी ।

मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी, रेट एण्ड रोड, नयी दिल्ली ।

उप मुख्य इंजीनियर, कंटीट रेलीयर प्लांट, सुबेदारगंज, इलाहाबाद ।

सभी विभागाध्यक्ष, उत्तर रेलवे, प्रधान कार्यालय, बडौदा हाउस, नयी दिल्ली ।

विषय :- अधिसूचना ।

उपर्युक्त विषय पर रेलवे बोर्ड के 20.4.95 के पत्र सं. हिन्दी-95/रा.भा.-1/12/1 की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है ।

संलग्न: यथोक्त ।

11 म. भा. भा. 11/2
25.4.95
कृते महाप्रबन्धक, राजभाषा